भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2702
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2017/26 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>कंपनियों का आसानी से पंजीकरण</u>

2702. श्री हरि मांझी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंपनियों को एक ही दिन में पंजीकृत करने की नई व्यवस्था बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार के पास कंपनियों को एक ही दिन में पंजीकृत करने की प्रमाणिकता को सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र विद्यमान है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने नई कंपनी शुरू करने के लिए "नाम उपलब्धता" और "निगमन" आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए वर्ष 2016 में केन्द्रीय़ रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी) का गठन किया है। जिन मामलों में आवेदन कंपनी अधिनियम/नियमों के अनुसरण में किए जाते हैं, उन पर अगले 1-2 कार्यदिवसों के अंदर कार्रवाई कर ली जाती है।

(ख) और (ग): किसी प्रैक्टिसरत अधिवक्ता/चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत लेखाकार/कंपनी सचिव जैसे किसी व्यावसायिक से घोषणा पत्र और प्रमाणन प्राप्त करके प्रमाणिकता सुनिश्चित की जाती है। इसके अतिरिक्त, संगम अनुच्छेद में कंपनी का निदेशक/प्रबंधक/सचिव के रूप में नामित व्यक्ति को यह पुष्टि करते हुए घोषणा पत्र देना होता है कि कंपनी अधिनियम और इसके अधीन नियमों

के तहत पंजीकरण के लिए सभी अपेक्षाएं पूरी की गई हैं। इस संबंध में मिथ्या कथन देना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अधीन दंडनीय है।

*****